छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,

बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 257/2006

याचिकाकर्ता : 1. याकूब सरिफ, पिता स्वर्गीय इब्राहिम शरीफ, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी– केलावाड़ी, जिला दुर्ग (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण रायपुर (छ०ग०)

2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर(छ०ग०)

3) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर ।

4) श्री राजू सिंह राजपुरोहित, पिता श्री के. एस. राजपुरोहित, निवासी–महोबा बाजार, रायपुर(छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 257/2006

याचिकाकर्ता : 1. याकूब सरिफ, पिता स्वर्गीय इब्राहिम शरीफ, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी–केलावाड़ी, जिला दुर्ग (छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण रायपुर (छ०ग०)
2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर(छ०ग०)
3) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
4) श्री राजू सिंह राजपुरोहित, पिता श्री के. एस. राजपुरोहित, निवासी–महोबा बाजार, रायपुर(छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री ए. आर. श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।
: उत्तरवादीगण क्र. 1 से 3 के लिए श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता और श्री सुमेश बजाज, उप शासकीय अधिवक्ता।
: उत्तरवादी क्र. 4 के श्री अजय श्रीवास्तव और श्री शिवेश सिंह, अधिवक्तागण ।

मौखिक आदेश

(दिनांक 1 फरवरी 2006 को पारित)

इस प्रकरण के तथ्य सरल और सीधे हैं। याचिकाकर्ता ने दुर्ग से रायपुर मार्ग पर नियमित परमिट देने के लिए द्वितीय उत्तरवादी को दिनांक 03–03–2004 को आवेदन प्रस्तुत किया इसमें चतुर्थ उत्तरवादी ने भी उसी मार्ग पर नियमित अनुमति

देने के लिए दिनांक 17–05–2004 को आवेदन प्रस्तुत किया। द्वितीय उत्तरवादी ने अपने आदेश दिनांक 06–07–2004 द्वारा चतुर्थ उत्तरवादी के पक्ष में अनुमति अनुदत्त की। याचिकाकर्ता ने द्वितीय उत्तरवादी के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है।

(2) नोटिस की सेवा पर, उत्तरवादी क्र. 2 और 3 ने अपना जवाबदावा दाखिल किया है। जवाबदावा में कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन दिनांक 16–03–2004 को विचारार्थ लिया गया था और विचार के बाद उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था, परंतु वह नस्ति, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार किया गया था और निर्णय लिया गया था, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। उत्तरवादी क्र. 2 और 3 द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त नस्ति खो गई थी/गलत जगह पर रख दी गई थी। न केवल संबंधित नस्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, अपितु यह भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि द्वितीय उत्तरवादी ने अपने तथाकथित आदेश दिनांक 16–03–2004 को आज तक याचिकाकर्ता को संसूचित नहीं किया। यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट प्रकरण है कि उसके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त मार्ग पर नियमित परमिट प्रदान करने के लिए दिनांक 03–03–2004 को आवेदन किया था, इस पर मेरे समक्ष विवाद नहीं किया गया है। यह सर्वविदित है कि यदि किसी सांविधिक प्राधिकारी को राज्य की उदारता को विभाजित करने या परमिट, लाइसेंस आदि प्रदान करने के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों से प्राप्त न्यायसंगत सिद्धांत ऐसे सांविधिक प्राधिकारी को ऐसे सभी प्रतिस्पर्धी आवेदनों को सम्मिलित करने, उन पर एक साथ विचार करने और एक सामान्य आदेश द्वारा उनका निराकरण करने के लिए आदेश देंगे ताकि निर्णय में निष्पक्षता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनिश्चित की जा सके और साथ ही आवेदकों के सापेक्ष गुणों का मूल्यांकन किया जा सके और जनहित को पूरा करने के लिए आवेदकों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को राज्य की उदारता को विभाजित किया जा सके। चूंकि याचिकाकर्ता ने चतुर्थ उत्तरवादी द्वारा उसी मार्ग पर नियमित अनुमति देने के लिए आवेदन करने से बहुत पहले आवेदन किया था, प्राथमिकता के साथ–साथ वरिष्ठता के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के आवेदन पर पहले विचार किया जाना चाहिए था और निर्णय लिया जाना चाहिए था या कम से कम इसे चतुर्थ उत्तरवादी के आवेदन के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। प्रतिवादी 2 और 3 का अपनी सुविधानुसार तथा अपनी ओर से स्पष्ट अवैध कृत्य को छिपाने के लिए बहाना बनाने के लिए दिया गया स्वार्थी कथन न्यायालय के विश्वास को बल नहीं देता है। न्याय होना चाहिए और साथ ही ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय हुआ है' यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक प्रमुख नियम है। इस मामले को देखते हुए, मैं समझता हूं कि न्याय तभी पूर्ण होगा जब द्वितीय उत्तरवादी को यह निर्देश दिया जाये कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन को चतुर्थ उत्तरवादी के आवेदन के साथ संयोजित करे, उन पर एक साथ विचार करे और दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार, गुणदोष के आधार पर उचित सर्वनिष्ठ आदेश पारित करे और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में न्याय करने का यही एकमात्र उचित तरीका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) परिणामस्वरूप, मैं रिट याचिका को स्वीकार करता हूँ, तथा दुर्ग से रायपुर मार्ग पर चतुर्थ उत्तरवादी के पक्ष में नियमित परमिट देने के द्वितीय उत्तरवादी के आदेश दिनांक 06–07–2004 को अभिखंडित करता हूँ। द्वितीय उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 03–03–2004 को चतुर्थ उत्तरवादी के आवेदन दिनांक 17–05–2004 के साथ संयोजित करे, उन पर एक

साथ विचार करे तथा उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार समुचित आदेश पारित करे। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur